राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन राज., जयपुर

क्रमांक :एफ.पी.22(14)पनिदयो / औ.मांग व क्रय / 2017 / दिनांक :

1. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक
पशुपालन विभाग, राजस्थान।

2. समस्त जिला संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग, राजस्थान।

3. उपनिदेशक, कुचामनसिटी।
पशुपालन विभाग, राजस्थान।

विषय :– **विभागीय योजनाओं के लिये औषधि एवम् सर्जिकल कन्ज्यूमेबल आदि के क्रय हेतु दिशा–निर्देश।**

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली औषधि एवम् सर्जिकल कन्ज्यूमेबल आदि का क्रय निदेशालय द्वारा जारी दर संविदा पर विकेन्द्रीकृत प्रणाली से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः भविष्य में विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत उक्त परियोजनार्थ उपलब्ध बजट सीमा में निम्न प्रक्रिया अपनाते हुये सम्बन्धित सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक अपने सम्भाग के जिलों के लिये औषधि एवम् सर्जिकल कन्ज्यूमेबल आदि क्रय कर समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1. निदेशालय द्वारा औषधियों एवं कन्ज्यूमेबल सर्जिकल्स आदि की अनुमोदित सूची जारी की जावेगी। अनुमोदित सूचि अनुरूप सॉफ्टवेयर में Itemwise rates एवं Suppliers के Medicine & Surgical Consumable की Mapping का कार्य निदेशालय स्तर पर ही सम्पादित किया जावेगा।
2. विभागीय संस्था स्तर से औषधियों एवं कन्ज्यूमेबल सर्जिकल आदि की त्रैमासिक / आवश्यकतानुसार मांग पूर्वानुसार सॉफ्टवेयर में प्राप्त कर जिले द्वारा प्रमाणित कर क्षेत्र (Range)को प्रेषित की जावेगी।
3. सम्भाग स्तर पर मांग के अध्ययन व आंकलन के पश्चात् औचित्यपूर्ण मांग निदेशालय को प्रेषित की जायेगी। निदेशालय स्तर पर मांग का आंकलन / विश्लेषण किया जाकर जिलावार एवम् सम्भागवार Compile की जावेगी।
4. इस प्रकार सम्भाग / जिलेवार प्रेषित मांग का निदेशालय द्वारा विश्लेषण किया जाकर अनुमोदन किया जायेगा तथा तदानुसार आवश्यक बजट की गणना कर सम्बन्धित सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक को बजट आवंटित किया जायेगा।

लगातार...2

5. निदेशालय द्वारा अनुमोदित मांग के अनुरूप सम्बन्धित सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक द्वारा उनसे संबद्ध जिलों के लिये औषधि एवम् सर्जिकल कन्ज्यूमेबल आदि के क्रय आदेश जारी किये जावेंगे।

6. क्रय आदेशों के विरूद्ध अनुमोदित Suppliers द्वारा पूर्वानुसार सॉफ्टवेयर में आपूर्ति किये जाने वाले आईटम्स की विस्तृत जानकारी भरी जावेगी तथा इसी अनुरूप पूर्व की भांति जिलों द्वारा सॉफ्टवेयर में Receipt entry भी की जावेगी।

7. जिलों द्वारा सॉफ्टवेयर में Bill forward करते हुये मूल बिल विधिवत प्रमाणित किये जाकर सम्बन्धित सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक कार्यालय को भुगतान हेतु भिजवाये जायेंगे।

8. सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक कार्यालयों द्वारा बिलों पर Receipt Date, Amount आदि Check किये जाकर ही बिलों की प्राप्ति की जावेगी।

9. सम्भागीय अतिरिक्त निदेशकों द्वारा कटौतियों (LD) की गणना सॉफ्टवेयर तथा मैन्यूअल (डबल चैक) चैक कर Payable amount की स्वीकृति जारी की जावेगी तथा स्वीकृति के अनुरूप ही कोष कार्यालय को भुगतान हेतु बिल प्रेषित किये जाकर भुगतान कार्यवाही संपादित की जावेगी, जिसका इन्द्राज सॉफ्टवेयर मे भी किया जाना आवश्यक होगा।

10. एफ.एम.डी.–सीपी एवम् पी.पी.आर.–सीपी का प्रोग्राम निदेशालय स्तर से पूर्व की भांति ही संचालित किया जायेगा। अतः एफ.एम.डी. एवम् पी.पी.आर. वैक्सीन के क्रय आदेश निदेशालय स्तर से ही जारी किये जायेंगे।

उक्त दिशा–निर्देश शासन के आदेश क्रमांक FV22(24)FMC / Med. Demand & Pur./ PPRCP.2016 दिनांक 4 जुलाई 2017 के अनुसरण में जारी किये जाते है

– sd –

(डॉ. अजय कुमार गुप्ता)
निदेशक

क्रमांक :एफ.वी.22(14)पनिदयो/औ.मांग व क्रय/2017/2262-95 दिनांक : 18-7-2017

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि एवम् पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय पशुपालन राज., जयपुर।
5. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/योजना प्रभारी पशुपालन निदेशालय, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. एन.एम.सिंह)
अतिरिक्त निदेशक, दवा प्रकोष्ठ